



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 08.07.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना रामपुरा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास एवं 18,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त हाकिम पुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम बरहा कोतवाली उरई जनपद जालौन के विरुद्ध थाना रामपुरा पर मु०अ०सं० 174/17 धारा 363/366/506 भादवि व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना रामपुरा पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त हाकिम उपरोक्त को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास एवं 18,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
रणकेन्द्र भदौरिया



श्री परमहंस तिवारी
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



हे०का० सुधीर सिंह कोर्ट
मुहरिर



का० सौरभ दुबे
कोर्ट पैरोकार